


संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : बाबा विश्वनाथ विश्वकुल शिक्षण सेवा संस्थान।
2. संस्था का पूरा पता : ग्राम सुल्हाबाद कौली, पोस्ट व ब्लॉक बीकानपुर जिला फैजाबाद (RWB)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण राजस्थान प्रदेश।
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :
 - आजीवन सदस्य : जो वार्षिक निरवकाश राशि से एक बार में 10000/- रुपये तक या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति दान या अर्पण रूप से प्रदान करता वह संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।
 - सामान्य सदस्य : जो वार्षिक संस्था के निदान हेतु 100/- रुपये वार्षिक राशि प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।
5. सदस्यता की समाप्ति :
 - 1. मृत्यु हो जाने पर।
 - 2. अनाथ या विधवा/विधवा हो जाने पर।
 - 3. संस्था को छोड़ने पर।
 - 4. कार्य द्वारा दण्डित होने पर।
 - 5. विनियम तथा संस्था के कानून का उल्लंघन करने पर।
 - 6. संस्था के नियमों में अनुपस्थित होने पर।
 - 7. स्वयं चरित्र या अविश्वसनीयता के कारण दण्डित होने पर।
6. संस्था के अंग :

	अ	ब
संस्था के अंग :	आचार्य सभा	प्रबन्धकारिणी समिति।
7. आचार्य सभा :
 - 1. सभी प्रकार के सदस्यों को नियोजित आचार्य सभा का गठन किया जायेगा।
 - 2. आचार्य सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार होगी तथा विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।
 - 3. आचार्य सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूपसे दी जायेगी।
 - 4. आचार्य सभा के कृत सदस्यों की संख्या में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति परमपूरी के लिए पर्याप्त होगी।
 - 5. आचार्य सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों की अनुमति से तय की जायेगी।



Handwritten signatures and names:
 1. *[Signature]*
 2. *[Signature]*
 3. *[Signature]*
 4. *[Signature]*

आचार्य सभा के अध्यक्ष :

प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन कार्य।

सूर्यकांत (2)

सुबोध आदि... द्वारा वर्ष में एक बार कार्यवाही...
वित्तीय वर्ष में अंतिम से हो गाई होगा।


13. संस्था के द्वारा कम्पना द्वारा विवरण कम्पनी कायेबाही के संकलन का सहाय्यता :

संस्था द्वारा होने वाले समस्त अदायगी करीबाही की
परीक्षा गणनाक द्वारा की जायेगी या उसके द्वारा किली
काम अधिकतम होगी द्वारा की जायेगी।

14. दायित्व

संस्था की प्रत्येक शर्तों की कार्यवाही करती व्यवस्था
एवं कम्पना के दायित्व सभी सदस्यों का सामूहिक एवं
पुनः-सूचक रूप से होगा। कम्पना प्रत्येक पर बढती
दायित्व के लिए शक्य सभी व्यवस्था सन्पन्न बनाना
से हरे। यह दायित्व का अदायगी का रूप में होगा।

15. संस्था के अंगिनेख



- अदायगी रजिस्टर
- करीबाही रजिस्टर
- अंगण रजिस्टर
- सदस्य रजिस्टर
- केम बुक सावि

16. संस्था के विवरण एवं विवरण सन्पन्न के निस्तरण कोलकता एजिक्टेशन अधिनियम की अनु 13 व
14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्य प्रतिनिधि

Handwritten signature
विनयानुमि
सत्य
अंगण

सत्यापन
एवं प्रतिनिधि
Handwritten signature
अंगण
विनयानुमि
सत्य